बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

ज्ञाप संख्या–1/विकास–यो0–234/2025 218 स्वी०/cc पटना, दिनांक– 03 जुलाई, 2026

प्रेषक,

अनिल कुमार झा, भा.प्र.से.,
ईखायुक्त, बिहार।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

विषय : **राज्य योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में स्वीकृत " मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम " के अधीन भौतिक उपलब्धि के आलोक में लाभुकों को भुगतान हेतु अवशेष राशि कुल 655.38867 लाख रू0 (छः करोड़ पचपन लाख अड़तीस हजार आठ सौ सड़सठ रू0) मात्र की वित्तीय वर्ष 2026–2027 में निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश : स्वीकृत।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक राज्य सरकार द्वारा राज्य योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में स्वीकृत " मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम " के अधीन भौतिक उपलब्धि के आलोक में लाभुकों को भुगतान हेतु अवशेष राशि कुल 655.38867 लाख रू0 (छः करोड़ पचपन लाख अड़तीस हजार आठ सौ सड़सठ रू0) मात्र की वित्तीय वर्ष 2026–2027 में निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी जाती है।

(2) वित्तीय वर्ष 2025–26 में विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–196 स्वी0/सी.सी. दिनांक–03.07.2025 के द्वारा कुल 49.00 करोड़ रू0 की लागत पर मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन की स्वीकृति दी गई थी, के आलोक में इस योजनांतर्गत हुए भौतिक उपलब्धि के आलोक में तकनीकी कारणों से कोषागार से देय राशि की निकासी नहीं होने के फलस्वरूप विभिन्न मदों में लाभुकों के भुगतान हेतु अवशेष राशि के रूप में 655.38867 लाख रू0 (छः करोड़ पचपन लाख अड़तीस हजार आठ सौ सड़सठ रू0) मात्र की स्वीकृति दी जा रही है।

(3) योजनांतर्गत अवशेष भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य **परिशिष्ट–1** तथा कार्यालयवार अवशेष राशि की निकासी हेतु स्वीकृत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य **परिशिष्ट–2** के रूप में संलग्न है।

(4) इस योजनांतर्गत स्वीकृत राशि के अधीन मदवार अवशेष राशि का निकासी एवं भुगतान संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यथा– उप निदेशक, ईख विकास/सहायक निदेशक, ईख विकास एवं विशेष कार्य पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना द्वारा संबंधित कोषागार से किया जायेगा। संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास द्वारा अवशेष राशि की निकासी एवं भुगतान केन केयर पोर्टल के माध्यम से प्राप्त आवेदन के आलोक में निहित प्रक्रिया का पालन करते हुए किया जाएगा। **परिशिष्ट–3** में अंकित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अपने संबंधित कोषागार से राशि की निकासी करेगें। भौतिक उपलब्धि के आलोक में लाभुकों को भुगतान किये जाने हेतु अवशेष राशि के लिए स्वीकृत राशि की निकासी हेतु वित्तीय नियमावली एवं पूर्व निर्गत अनुदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने का पूर्ण दायित्व संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

(5) इस योजनांतर्गत लाभार्थियों को प्रोत्साहन/अनुदान की राशि का भुगतान सीधे CFMS के माध्यम से अथवा विभागीय पत्रांक–539/ई.का. दिनांक–12.03.2026 के आलोक में संबंधित कार्यालय द्वारा Own Office Account में राशि को अंतरित कर लाभुकों (Beneficiaries) को भुगतान की कार्रवाई पूर्ण की जा सकती है। इस हेतु Voucher के रूप में लाभुकों को भुगतान की विवरणी से संबंधित Receipt संलग्न किया जा सकता है। योजनांतर्गत श्रेणीवार स्वीकृत राशि का व्यय नियमानुसार किया जायेगा। किसी भी प्रकार के गलत भुगतान के लिए संबंधित चीनी मिल के प्रबंधक/महाप्रबंधक/कार्यपालक अध्यक्ष एवं सहायक निदेशक, ईख विकास पूर्णतः जवाबदेह होंगे।

(6) वित्तीय वर्ष 2025–26 में निर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–196 स्वी0/सी.सी. दिनांक–03.07.2025 में निहित अनुदेश/आवश्यकतानुसार समय–समय पर संशोधित अनुदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) इसके कार्यान्वयन हेतु गन्ना उद्योग विभाग प्रशासी विभाग होगा तथा इसका समीक्षा ईखायुक्त, बिहार द्वारा किया जायेगा। क्षेत्रीय स्तर पर उप निदेशक, ईख विकास अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत इसके कार्यान्वयन हेतु पूर्ण रूप से जवाबदेह होगें।

(8) इस योजनांतर्गत अवशेष राशि की निकासी के लिए वित्तीय वर्ष 2026–27 में बजट शीर्षवार उपबंधित राशि एवं विकलनीय राशि का विवरण निम्न प्रकार है:–

क्रम सं0	बजट शीर्ष	विषय शीर्ष	उपबंधित राशि (लाख रू0)	निकासी हेतु स्वीकृत राशि/विकलनीय राशि (लाख रू0)
1.	मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उप मुख्यशीर्ष –00– लघु शीर्ष– 108 वाणिज्यिक फसलें मांग संख्या–45 उप शीर्ष– 0109 ईख विकास विपत्र कोड– 45–2401001080109	33 01 सब्सिडी	12818.50	586.80199
		20 03 प्रशिक्षण व्यय	289.45	33.59326
		20 02 कान्फ्रेंस, सेमिनार एवं कार्यशाला	124.05	0.00000
2.	मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उप मुख्यशीर्ष –00 लघुशीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–मांग संख्या–45–उपशीर्ष–0108–ईख विकास विपत्र कोड संख्या–45–2401007890108	विषय शीर्ष–33 01 सब्सिडी	2480.00	10.25681
		20 03 प्रशिक्षण व्यय	56.00	14.40000
		20 02 कान्फ्रेंस, सेमिनार एवं कार्यशाला	24.00	0.00000
3.	मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उप मुख्यशीर्ष –00 लघुशीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना–मांग संख्या–45–उपशीर्ष–0129–ईख विकास विपत्र कोड संख्या–45–2401007960129	विषय शीर्ष–33 01 सब्सिडी	201.50	8.28661
		20 03 प्रशिक्षण व्यय	4.55	1.92000
		20 02 कान्फ्रेंस, सेमिनार एवं कार्यशाला	1.95	0.13000
	योग–		**16000.00**	**655.38867**

(9). यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक–2561(वि॰)2 दि0–17.04.98 के आलोक में स्वीकृत की जा रही है। स्वीकृत राशि के विरूद्ध वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा विमुक्त किए गए राशि के अधीन आवंटन निर्गत किया जा सकेगा।

(10) प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश पर विभागीय संकल्प संख्या–12888/वि० दिनांक–03.12.2024 की कंडिका–5 (ख) (ii) के आलोक में माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार का अनुमोदन संचिका सं0–01/विकास– यो0–234/2025 के पृष्ठ सं0–26/टि॰ पर प्राप्त है।

(11) स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं0–01/विकास–यो0–234/25 के पृष्ठ सं0–24/टि॰ पर प्राप्त है।

(12) वित्त विभाग के पत्रांक–7355 दिनांक–05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

<u>अनुलग्नक–यथोक्त:</u>

विश्वासभाजन

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या–01/विकास–यो0–234/2025– 218 स्वी०/ cc पटना, दिनांक– 03 जुलाई, 2026

प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, बेतिया/मोतीहारी/गोपालगंज/समस्तीपुर/सिवान/दरभंगा/पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या–01/विकास–यो0–234/2025– 218 स्वी०/cc पटना, दिनांक– 03 जुलाई, 2026

प्रतिलिपि– वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/ उप निदेशक, योजना एवं विकास विभाग, बिहार/उप सचिव, गन्ना उद्योग विभाग/संयुक्त निदेशक, ईख विकास/संयुक्त ईखायुक्त, बिहार, पटना/विशेष कार्य पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग/विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार/उप निदेशक, ईख विकास, पूसा, मोतिहारी एवं पटना/सभी सहायक निदेशक, ईख विकास तथा प्रबंधक/महाप्रबंधक/कार्यपालक अध्यक्ष, राज्य की सभी कार्यरत चीनी मिल/महाप्रबंधक, प्रतापपुर चीनी मिल/सचिव, बिस्मा/संबंधित के॰भी॰के॰/राज्य के कृषि विश्वविघालय/सभी विशेष ईख पदाधिकारी एवं ईख पदाधिकारी/SIO, NIC, Patna/वरीय तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई0 टी0 प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या–01/विकास–यो0–234/2025– 218 स्वी०/cc पटना, दिनांक– 03 जुलाई, 2026

प्रतिलिपि– संबंधित सभी जिलाधिकारी/निदेशक, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ एवं प्रभारी पदाधिकारी, IISR, लखनऊ–क्षेत्रीय केन्द्र मोतीपुर/निदेशक, ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा/सभी जिला कृषि पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या–01/विकास–यो0–234/2025– 218 स्वी०/cc पटना, दिनांक– 03 जुलाई, 2026

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, गन्ना उद्योग विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ईखायुक्त, बिहार के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

परिशिष्ट–1

मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम (2025–26) अंतर्गत अवशेष राशि हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 में स्वीकृत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र0सं0	कार्य अवयव	अनुदान दर/अधिकतम सीमा (दोनों में से जो कम हो)		ईकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)
		सामान्य	अनु0 जाति/ अनु0जन जाति			
1	2	3	4	5	6	7
1	त्रिस्तरीय बीज उत्पादन कार्यक्रम –					
1.1	न्यूक्लियस गन्ना बीज का उत्पादन (10 हे0 में) एवं प्रजनक गन्ना बीज उत्पादन (63 हे0 में) कार्यक्रम हेतु प्रोत्साहन राशि	2.50 लाख प्रति हे0		हे0	35.5	88.75
1.2	आधार बीज उत्पादन हेतु प्रोत्साहन राशि	60,000 रू0 प्रति हे0		हे0	67.75	40.65
1.3	प्रमाणित बीज उत्पादन प्रोत्साहन कार्यक्रम	50 रू0 प्रति क्वींटल		क्वी0	191901.37	95.95026
1.4	प्रमाणित बीज का क्रय @ 210/240 रू0 प्रति क्वींटल (25 क्वीं0 प्रति एकड़)	210 रू0/क्वींटल	240 रू0/क्वींटल	एकड़	5328.31	280.81085
1.5	बड चिप/सिंगल बड पद्धति से गन्ना रोपाई का एक एकड़ में प्रत्यक्षण (10000 पौध प्रति एकड़)	अधिकतम 15,000 रू0 प्रति प्रत्यक्षण		एकड़	592.97	88.19636
1.6	गन्ना के साथ अंतरवर्ती खेती (दलहन/तेलहन/मशाला/सब्जी) हेतु बीज के लिए अनुदान	मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 800 रू0 प्रति एकड़		एकड़	2688	10.98794
	योग (1) –					**605.34541**
2	प्रशिक्षण कार्यक्रम–					
2.1	क्षेत्रीय कार्यशाला/एक्सपो	05.00 लाख रू0 प्रति कार्यशाला/एक्सपो		संख्या	1	0.13000
2.2	विभागीय पदाधिकारियों/वैज्ञानिकों/चीनी मिल के प्रतिनिधियों का राज्य के बाहर के गन्ना अनुसंधान संस्थान में भ्रमण एवं प्रशिक्षण				–	0.60000
2.3	बिहार दिवस मेला/झांकी इत्यादि के आयोजन हेतु प्रावधानित राशि				–	48.71326
2.4	40 कृषकों के लिए एकदिवसीय कृषक प्रशिक्षण	10,000 रू0 प्रति प्रशिक्षण		संख्या	7	0.60000
	Total (1+2) -					**655.38867**

ईखायुक्त, बिहार।

परिशिष्ट–2 (पृ0–1)

मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम (2025–26) अंतर्गत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारीवार अवशेष राशि हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 में स्वीकृत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	कार्यालय का नाम	त्रिस्तरीय बीज उत्पादन कार्यक्रम (विषय शीर्ष 33 01 सब्सिडी)																							
		न्यूक्लियस गन्ना बीज का उत्पादन (10 हे0 में) एवं प्रजनक गन्ना बीज उत्पादन (63 हे0 में) कार्यक्रम हेतु प्रोत्साहन राशि @ 2.50 लाख रू0 प्रति हेक्टेयर								आधार बीज उत्पादन हेतु प्रोत्साहन राशि @ 60,000 रू0 प्रति हेक्टेयर								प्रमाणित बीज उत्पादन प्रोत्साहन कार्यक्रम @ 50 रू0 प्रति क्वींटल							
		सामान्य		अनु0 जाति		अनु0 जनजाति		योग		सामान्य		अनु0 जाति		अनु0 जनजाति		योग		सामान्य		अनु0 जाति		अनु0 जनजाति		योग	
		भौतिक (हे0 में)	वित्तीय	भौतिक (हे0 में)	वित्तीय	भौतिक (हे0 में)	वित्तीय	भौतिक (हे0 में)	वित्तीय	भौतिक (हे0 में)	वित्तीय	भौतिक (हे0 में)	वित्तीय	भौतिक (हे0 में)	वित्तीय	भौतिक (हे0 में)	वित्तीय	भौतिक (क्वीं0 में)	वित्तीय	भौतिक (क्वीं0 में)	वित्तीय	भौतिक (क्वीं0 में)	वित्तीय	भौतिक (क्वीं0 में)	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	सहायक निदेशक, ईख विकास, बगहा	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	47.848	28.70880	0	0.00000	0	0.00000	47.848	28.70880	83745.87	41.87253	1993.60	0.99680	2717.9	1.35895	88457.37	44.22828
2	सहायक निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	125	0.06250	0	0.00000	0	0.00000	125	0.06250
3	सहायक निदेशक, ईख विकास, गोपालगंज	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	63926	31.96300	1562.5	0.78125	0	0.00000	65488.5	32.74425
4	सहायक निदेशक, ईख विकास, समस्तीपुर	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	10.78	6.46800	0	0.00000	0	0.00000	10.78	6.46800	26001.5	13.00075	50	0.02500	0	0.00000	26051.5	13.02575
5	सहायक निदेशक, ईख विकास, सिवान	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	9.122	5.47320	0	0.00000	0	0.00000	9.122	5.47320	11529	5.76448	0	0.00000	0	0.00000	11529	5.76448
6	सहायक निदेशक, ईख विकास, दरभंगा	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	250	0.12500	0	0.00000	0	0.00000	250	0.12500
7	सहायक निदेशक, ईख विकास, पटना	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000
8	उप निदेशक, ईख विकास, पटना	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000
9	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग	35.5	88.75000	0	0.00000	0	0.00000	35.5	88.75000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000
	योग–	35.5	88.75000	0	0.00000	0	0.00000	35.5	88.75000	67.75	40.65000	0	0.00000	0	0.00000	67.75	40.65000	185577.37	92.78826	3606.10	1.80305	2717.90	1.35895	191901.37	95.95026

परिशिष्ट–2 (पृ0–2)

मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम (2025–26) अंतर्गत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारीवार अवशेष राशि हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 में स्वीकृत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	कार्यालय का नाम	त्रिस्तरीय बीज उत्पादन कार्यक्रम (विषय शीर्ष 33 01 सब्सिडी)																त्रिस्तरीय बीज उत्पादन कार्यक्रम (विषय शीर्ष 33 01 सब्सिडी)							
		गन्ना के प्रत्यक्षण हेतु चयनित प्रभेदों का अनुदानित दर पर प्रमाणित बीज वितरण बीज क्रय अनुदान 210 रू0/क्वींटल यानि 5250 रू0 प्रति एकड़, एक एकड़ हेतु अधिकतम 25 क्वीं0 बीज देय होगा (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों हेतु 240 रू0/क्वीं0 यानि 6000 रू0 प्रति एकड़)								बड चिप/सिंगल बड पद्धति से गन्ना रोपाई का एक एकड़ में प्रत्यक्षण @ 15,000 रू0 प्रति प्रत्यक्षण (10000 पौध प्रति एकड़)								गन्ना के साथ अंतरवर्ती खेती (दलहन/तेलहन/मशाला/सब्जी) हेतु बीज के लिए अनुदान @ 800 रू0 प्रति एकड़							
		सामान्य @ 5250 रू0		अनु0 जाति @ 6000 रू0		अनु0 जनजाति @ 6000 रू0		योग		सामान्य		अनु0 जाति		अनु0 जनजाति		योग		सामान्य		अनु0 जाति		अनु0 जनजाति		योग	
		भौतिक (एकड़ में)	वित्तीय	भौतिक (एकड़ में)	वित्तीय	भौतिक (एकड़ में)	वित्तीय	भौतिक (एकड़ में)	वित्तीय	भौतिक (एकड़)	वित्तीय	भौतिक (एकड़)	वित्तीय	भौतिक (एकड़)	वित्तीय	भौतिक (एकड़)	वित्तीय	भौतिक (एकड़)	वित्तीय	भौतिक (एकड़)	वित्तीय	भौतिक (एकड़)	वित्तीय	भौतिक (एकड़)	वित्तीय
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	47	48	49	50	51	52	53	54
1	सहायक निदेशक, ईख विकास, बगहा	2921.45	153.37652	63.89	3.83376	99.13	5.94766	**3084.47**	**163.15794**	417.62	62.64386	2	0.30000	6	0.90000	**425.62**	**63.84386**	1580	5.80184	0	0.00000	10	0.08000	**1590**	**5.88184**
2	सहायक निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी	5	0.26250	0	0.00000	0	0.00000	**5**	**0.26250**	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	**0**	**0.00000**	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	**0**	**0.00000**
3	सहायक निदेशक, ईख विकास, गोपालगंज	1185	61.63500	63	3.75000	0	0.00000	**1248**	**65.38500**	43.0	5.70000	0	0.00000	0	0.00000	**43.0**	**5.70000**	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	**0**	**0.00000**
4	सहायक निदेशक, ईख विकास, समस्तीपुर	693.84	36.42660	9.5	0.57000	0	0.00000	**703.34**	**36.99660**	121.35	18.20250	0	0.00000	0	0.00000	**121.35**	**18.20250**	1098	5.10610	0	0.00000	0	0.00000	**1098**	**5.10610**
5	सहायक निदेशक, ईख विकास, सिवान	259	13.51256	0	0.00000	0	0.00000	**259**	**13.51256**	3	0.45000	0	0.00000	0	0.00000	**3**	**0.45000**	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	**0**	**0.00000**
6	सहायक निदेशक, ईख विकास, दरभंगा	10	0.52500	0	0.00000	0	0.00000	**10**	**0.52500**	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	**0**	**0.00000**	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	**0**	**0.00000**
7	सहायक निदेशक, ईख विकास, पटना	18.5	0.97125	0	0.00000	0	0.00000	**18.5**	**0.97125**	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	**0**	**0.00000**	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	**0**	**0.00000**
8	उप निदेशक, ईख विकास, पटना	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	**0**	**0.00000**	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	**0**	**0.00000**	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	**0**	**0.00000**
9	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	**0**	**0.00000**	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	**0**	**0.00000**	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	**0**	**0.00000**
	योग–	**5092.79**	**266.70943**	**136.39**	**8.15376**	**99.13**	**5.94766**	**5328.31**	**280.81085**	**584.97**	**86.99636**	**2**	**0.30000**	**6**	**0.90000**	**592.97**	**88.19636**	**2678**	**10.90794**	**0**	**0.00000**	**10**	**0.08000**	**2688**	**10.98794**

परिशिष्ट–2 (पृ0–3)

मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम (2025–26) अंतर्गत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारीवार अवशेष राशि हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 में स्वीकृत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	कार्यालय का नाम	(विषय शीर्ष 20 02 कान्फ्रेंस, सेमिनार एवं कार्यशाला)								(विषय शीर्ष 20 03 प्रशिक्षण व्यय)										कुल योग			
		क्षेत्रीय कार्यशाला/एक्सपो @ 05.00 लाख रू0 प्रति कार्यशाला/एक्सपो								विभागीय पदाधिकारियों/वैज्ञानिकों/चीनी मिल के प्रतिनिधियों का राज्य के बाहर के गन्ना अनुसंधान संस्थान में भ्रमण एवं प्रशिक्षण				बिहार दिवस मेला/झांकी इत्यादि के आयोजन हेतु प्रावधानित राशि				40 कृषकों के लिए एकदिवसीय कृषक प्रशिक्षण (10,000 रू0 प्रति प्रशिक्षण)					
		सामान्य		अनु0 जाति		अनु0 जनजाति		योग		सामान्य	अनु0 जाति	अनु0 जनजाति	योग	सामान्य	अनु0 जाति	अनु0 जनजाति	योग	सामान्य		सामान्य	अनु0 जाति	अनु0 जनजाति	योग
		भौतिक (सं0)	वित्तीय	भौतिक (सं0)	वित्तीय	भौतिक (सं0)	वित्तीय	भौतिक (सं0)	वित्तीय	वित्तीय	वित्तीय	वित्तीय	वित्तीय	वित्तीय	वित्तीय	वित्तीय	वित्तीय	भौतिक (संख्या)	वित्तीय	वित्तीय	वित्तीय	वित्तीय	वित्तीय
55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78
1	सहायक निदेशक, ईख विकास, बगहा	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7	0.60000	293.00355	5.13056	8.28661	306.42072
2	सहायक निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0	0.00000	0.32500	0.00000	0.00000	0.32500
3	सहायक निदेशक, ईख विकास, गोपालगंज	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0	0.00000	99.29800	4.53125	0.00000	103.82925
4	सहायक निदेशक, ईख विकास, समस्तीपुर	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0	0.00000	79.20395	0.59500	0.00000	79.79895
5	सहायक निदेशक, ईख विकास, सिवान	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0	0.00000	25.20024	0.00000	0.00000	25.20024
6	सहायक निदेशक, ईख विकास, दरभंगा	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0	0.00000	0.65000	0.00000	0.00000	0.65000
7	सहायक निदेशक, ईख विकास, पटना	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0	0.00000	0.97125	0.00000	0.00000	0.97125
8	उप निदेशक, ईख विकास, पटना	0	0.00000	0	0.00000	1	0.13000	1	0.13000	0.00000	0.00000	0.60000	0.60000	32.99326	14.40000	1.32000	48.71326	0	0.00000	32.99326	14.40000	2.05000	49.44326
9	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0	0.00000	88.75000	0.00000	0.00000	88.75000
	योग–	0	0.00000	0	0.00000	1	0.13000	1	0.13000	0.00000	0.00000	0.60000	0.60000	32.99326	14.40000	1.32000	48.71326	7	0.60000	620.39525	24.65681	10.33661	655.38867

ईखायुक्त, बिहार।

परिशिष्ट–'3'

मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम (2025–26) अंतर्गत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारीवार अवशेष राशि हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 में उनके सामने श्रेणीवार स्वीकृत राशि तथा संबंधित कोषागार का नाम जिससे राशि की निकासी की जायेगी का विवरणी।

क्र0 सं0	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/कार्यालय का नाम	स्वीकृत राशि (लाख रू0 में)				कोषागार का नाम जहाँ से राशि की निकासी की जायेगी
		सामान्य	अनु0 जाति	अनु0 जन जाति	योग	
1	2	3	4	5	6	7
1	सहायक निदेशक, ईख विकास, बगहा	293.00355	5.13056	8.28661	306.42072	कोषागार, बेतिया, प0 चम्पारण
2	सहायक निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी	0.32500	0.00000	0.00000	0.32500	कोषागार, मोतिहारी पूर्वी चम्पारण
3	सहायक निदेशक, ईख विकास, गोपालगंज	99.29800	4.53125	0.00000	103.82925	कोषागार , गोपालगंज
4	सहायक निदेशक, ईख विकास, समस्तीपुर	79.20395	0.59500	0.00000	79.79895	कोषागार, समस्तीपुर
5	सहायक निदेशक, ईख विकास, सिवान	25.20024	0.00000	0.00000	25.20024	कोषागार, सिवान
6	सहायक निदेशक, ईख विकास, दरभंगा	0.65000	0.00000	0.00000	0.65000	कोषागार, दरभंगा
7	सहायक निदेशक, ईख विकास, पटना	0.97125	0.00000	0.00000	0.97125	कोषागार, पटना
8	उप निदेशक, ईख विकास, पटना	32.99326	14.40000	2.05000	49.44326	कोषागार, पटना
9	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग	88.75000	0.00000	0.00000	88.75000	सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना
	योग–	**620.39525**	**24.65681**	**10.33661**	**655.38867**	

ईखायुक्त, बिहार।